न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 77/2018

वादीगण

1. कालूराम पुत्र धन्नाराम के का0मु0:—
   1/1 चन्द्रकी पत्नी कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत
   1/2 रमेशलाल पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज.
   1/3 प्रकाश चौधरी पुत्र कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज.
   1/4 शारदादेवी पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज.
2. जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी निवासीगण बोयल तहसील सोजत, जिला—पाली, (राजस्थान) के कायम मुकाम
   2/1 कालूराम पुत्र धन्नाराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत फौत के का0मु0 —
   2/1/1 चन्द्रकी पत्नी कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत
   2/1/2 रमेशलाल पुत्र कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज.
   2/1/3, प्रकाश चौधरी पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज.
   2/1/4 शारदादेवी पुत्री कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली
   2/2 अनकी देवी पत्नी टीकमराम जाति सिरवी निवासी बेरा रामसागर सांडिया तहसील सोजत जिला पाली राज.
   2/3 सुखी देवी पत्नी हीराराम जाति सिरवी निवासी सांडिया. तहसील सोजत जिला पाली राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. छगनलाल पुत्र भगवानराम
2. सुरेश पुत्र भगवानराम
3. ढगलाई पत्नी भगवानराम
4. भुण्डाराम पुत्र प्रभुलाल
5. गेनाराम पुत्र प्रभुलाल
6. सिगली देवी पत्नी प्रभुलाल
7. गोमाराम पुत्र मगाराम
8. पेमाराम पुत्र मगाराम के कामय मुकाम
   8/1 मुलकी पत्नी पेमाराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत
   8/2 खेताराम पुत्र पेमाराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत
   8/3 जवरीलाल पुत्र पेमाराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत
   8/4 रतनीदेवी पुत्री पेमाराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत
   8/5 राधादेवी पुत्री पेमाराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत
9. पानी देवी पत्नी हेमाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बोयल, तह0 सोजत, जिला पाली राज. के का0मु0—
   9/1 कानाराम पुत्र हेमाराम
   9/2 इन्दाराम पुत्र हेमाराम
   9/3 जोराराम पुत्र हेमाराम
   9/4 जीवाराम पुत्र हेमाराम
   9/5 विमला पुत्री हेमाराम जातियान सिरवी निवासीगण बोयल तहसील सोजत
10. शांति देवी पत्नी नारायणलाल जाति कलाल निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज0।
11. तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितिः—

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव एवं श्री महावीर प्रसाद अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 से 9 एवं श्री भवानी सिंह जैतावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 10 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक – 19/07/2023

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बोयल, पटवार हल्का बासना भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र अटपड़ा तहसील सोजत में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 420 रकबा 1.4300 है0, खसरा संख्या 423 रकबा 2.4800 है0, खसरा संख्या 421 रकबा 0.0200 है0, खसरा संख्या 422 रकबा 0.0600 है0, खसरा संख्या 419 रकबा 9.4800 है0, खसरा संख्या 424 रकबा 1.5500 है0 किस्म बंजड़, जा.अ., चा.प्र., गै.मु. बेरा, गै.मु. सड़ा कुल किता खसरा 06 कुल रकबा 15.0200 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। जिसका वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई वैध बंटवाड़ा नहीं हुआ है। भगवानराम पुत्र प्रभुराम के विधिक वारिसान है, भगवानराम वादीगण का सहखातेदारान था जिसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात आज दिनांक तक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ है लेकिन भगवानराम के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। जो बिना किसी वैध अधिकार के विधि विरूद्ध रूप से लाठी लकड़ी के बल पर वादस्थ आराजीयात के विशिष्ठ खसराजात विशिष्ठ भूमि में कब्जा करने के उद्देश्य से ताबड़ तोड़ निर्माण करने को आमादा हुए जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण ने दिनांक 24.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को विशिष्ठ भू भाग पर निर्माण कार्य करने से रोका एवं ओलम्बा दिया तथा तमाम सहखातेदारान को इतला देकर एकत्रित किया, सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 4 से 9 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के परिवार के सदस्य एवं रिश्तेदार होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को निर्माण एवं अवैध कब्जा करने में सहयोग करने लगे वादीगण द्वारा तमाम सहखातेदारान को वैध बंटवाड़ा कर वादीगण का हक हिस्सा अलग करने का कहा तो तमाम सह खातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 से 10 वैध बंटवाड़ा करवाने से साफ इंकार हो गये तथा कहा कि "हम तो अवैध कब्जा करके रहेगे तथा तुम्हारे जहां कब्जा है वही पर मकान बना कर रहेगे।" इसलिये वादीगण वादस्थ भू भाग अपना 1/4 हिस्सा हक हकूक खातेदारी माप एवं सीमांकन से बंटवाड़ा करवा कर पृथक से कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार प्रतिवादीगण तमाम एकराय होकर वादीगण को अपने विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों पर कुठारघात कारित कर रहे है तथा वादीगण को अपने हक हिस्से से महरूम कर रहे है, यदि प्रतिवादीगण विधि विरूद्ध रूप से लाठी लकड़ी के बल पर वादस्थ भूमि के विशिष्ठ भू भाग का अवैध निर्माण कर कब्जा करते है तो वादीगण को होने वाली अपरिमेय क्षति का मूल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रतिवादीगण के उक्त अवैध कृत्य को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है। बिनायदावा दिनांक 24.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा विधि विरूद्ध रूप से बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये विशिष्ठ भू भाग पर अवैध निर्माण करने पर आमादा होने पर वादीगण द्वारा मना करने तथा तमाम सहखातेदारान को वैध बंटवाड़ा का कहने से साफ इंकार हो जाने से तथा विशिष्ठ भू भाग पर अवैध कब्जा एवं निर्माण करने की ऐलानिया धमकियां देने से ग्राम बोयल तहसील सोजत उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित भूमि में वाद पत्र के पद संख्या 1 मे वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

वादस्थ आराजीयात में वादीगण का 1/4 हिस्सा हक हकूक खातेदारी कब्जा काश्त का माप एवं सीमांकन से बंटवाड़ा किया जाकर पृथक से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे। स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादस्थ आराजीयात के विशिष्ठ भू भाग पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर वादस्थ आराजीयात के विशिष्ठ भू भाग पर अवैध कब्जा नहीं करे और न ही अपने किसी नौकर, एजेन्ट इत्यादि से करावे। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे तथा अन्य कोई अनुतोष जो न्यायोचित प्रतीत हो वो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस प्रकार राजस्व वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाव दावा तलब किया गया। प्रति0 सं0 10 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह जैतावत ने व.ना. पेश किया तथा प्रति0 सं0 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया, सामिल मिसल किया।

अधिवक्ता प्रति सं0 1 से 9 की ओर से ज0दा0 पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पद संख्या 1 का जवाब है कि इस पद में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बोयल पटवार हल्का बासना तहसील सोजत के खसरा संख्या 420 रकवा 1.4300 है0, खसरा संख्या 423 रकबा 2.4800 है0, खसरा संख्या 421 रकवा 0.0200 है0, खसरा संख्या 422 रकवा 0. 0600 है0, खसरा संख्या 419 रकवा 9.4800 है0, खसरा संख्या 424 रकवा 1.5500 है0 आई हुई अवश्य स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादीगण का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का हो तो वादीगण दस्तोवजी साक्ष्य से सावित करें। वाद पत्र के पद संख्या 2 का जवाब है कि वादीगण का यह लिखना सही है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उक्त आराजी में सहखातेदार है। लेकिन वादीगण का यह लिखना कतई गलत है कि उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा नहीं हुआ हो तथा सभी खातेदार अपनी सुविधा अनुसार काविज काश्त चले आ रहे हो, जबकि वादस्थ आराजी का सभी खातेदारान ने मौखिक रूप से बंटवाड़ा कर अलग अलग काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को भगवानराम पुत्र प्रभुराम के विधिक वारिसान होना लिख है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ढगलाई देवी पत्नी भगवानराम न होकर डगरीदेवी पत्नी भगवानराम है। वाद पत्र के पद संख्या 3 का जवाब यह है कि वादीगण का यह लिखना कतई गलत है कि वादस्थ आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती भूमि स्थित है। जबकि वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि का सभी खातेदारान के बीच अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर बंटवाड़ा कर अलग अलग काबिज काश्त है। वादीगण का यह लिखना कतई गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने लाठी लकड़ी के बल पर विशिष्ठ खसराजात की विशिष्ठ भूमि पर कब्जा करने की नियत से निर्माण कार्य करने पर आमदा हो, जबकि हकीकत यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर अलग अलग काबिज हो गये है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट व हिस्से में आई कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूर्ण हक व अधिकार है तथा वादीगण का यह लिखना कतई गलत है कि दिनांक 24.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को निर्माण कार्य करने से रोका व औलम्बा दिया हो, तब सभी खातेदारान ने उक्त निर्माण कार्य करने में सहयोग प्रदान किया हो, जबकि हकीकत यह है कि सभी खातेदारान अलग अलग अपने बंट व हिस्से पर काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट व हिस्से में आई कृषि भूमि का उपयोग उपभोग वर्षो पुराने समय से करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने अपने बंट व हिस्से में आई कृषि भूमि में लाखों रूपये खर्च कर उपजाऊ बनाया है तथा अपने बंट व हिस्से की भूमि में कुआ भी खुदवाया है, ट्यूबवेल भी करवाई है तथा अपने रहवासी मकान भी बने हुए है, जिसे देख कर वादीगण की नियतबद हुई तथा प्रतिवादीगण के उक्त भूमि को हड़प करने की नियत से यह झूठा दावा तथ्यों को छुपाकर पेश किया है। वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। वादीगण अपने वाद में प्रत्येक इंच भूमि पर सभी खातेदारान का हक हिस्सा होने के कथन कर रहे है तथा दूसरी ओर प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में हक हिस्सा है तो अवैध कब्जे करने के कथन सरासर गलत व झूठ है कि प्रतिवादीगण वादीगण के साथ कुठाराघात कर रहे हो, जब प्रतिवादीगण सहखातेदार है तो अवैध कब्जा करने के कथन सरासर गलत व झूठ है। ऐसी स्थिति में वादीगण को अपूर्णिय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण सहखातेदारान होना स्वीकार कर रहे है। ऐसी स्थिति में सहखातेदारान के विरूद्ध वादीगण कतई स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जा सकता है। वादीगण का वाद काबिले खारिज के है। वाद पत्र के पद संख्या 4 का जवाब है कि दिनांक 24.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है। न ही वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच किसी प्रकार की कोई वार्तालाप या बातचीत हुई। प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण को किसी प्रकार की कोई धमकिया नहीं दी गई। न ही वादीगण ने बंटवाड़ा बाबत प्रतिवादीगण को कहा, ऐसी स्थिति में दिनांक 24.05.2018 को वादीगण को कोई बिनायदावा उत्पन्न नहीं होता है। बिनायदावा के अभाव में वादीगण का वाद काबिले खारिज के है। वाद पत्र के पद संख्या 5 क्षेत्राधिकार से संबंधित है, जो कानूनी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 ने जवाब दावा पेश कर वादीगण का वाद सव्यय खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रति0सं0 10 ने जवाब दावा इस माफिक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या 1 का जवाब यह है कि वाद में वर्णित खसरा नम्बरान, रकबा व किस्म व हिस्सा जो लिखा है, वह सही है। वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या 2 का जवाब यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादरथ कृषि भूमि के सहखातेदारान है। इनके मध्य आपसी सहमति से मौके पर अपने अपने हिस्सेनुसार बंटवाड़ा किया हुआ है तथा कब्जा काश्त भी है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में विधिवत् रूप से बंटवाड़ा नहीं होने से वादीगण द्वारा जो बंटवाड़ा का वाद पेश किया गया है। उस वाद के जरिए प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से के अनुसार जो राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 10 की खरीदसुदा भूमि है तथा मौके पर अलग बंटी हुई है। जिस पर मौके पर प्रतिवादी संख्या 10 का कब्जाकाश्त है। जिसके पूर्व दिशा में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का खेत है, पश्चिम दिशा में प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 का खेत है, उतरं दिशा में प्रतिवादी संख्या 7 का खेत है। दक्षिण दिशा में भुराराम वगैरा का खेत है, जो हमारे सहखातेदार नहीं है तथा उक्त चारो पड़ौस बीच में जो कृषि भूमि है, वही कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 10 की खरीदसुदा, कब्जाकाश्त की है और उक्त बंटवाड़े में भी उक्त पड़ौस की कृषि भूमि दी जाये व राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज की जाये। क्योंकि उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा दो ट्यूबवेल खुदवाई हुई है। लेकिन एक पर विधुत का कनेक्शन है, जिस पर सिंचाई की जाती है तथा मौके पर दो बीघें में मेहन्दी भी लगा रखी है तथा इसके चारों तरफ तारबंदी भी करवा रखी है तथा उक्त कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रतिवादी संख्या 10 ने लाखो रूपये खर्च किये है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्से का भी विधिक बंटवाड़ा उसके कब्जे के अनुसार ही किया जाये तथा उक्त कृषि भूमि में आने के लिए विधिवत् रूप एवं स्थायी रूप से रास्ता दिलाया जावें। जिससे प्रतिवादी संख्या 10 अपने ट्रेक्टर, गाड़ी, घोड़े एवं पशु इत्यादि आ जा सके। वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या 3 का जवाब यह है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने बिना विधिक बंटवाड़ा करवाये ही अपने हिस्से में निर्माण कार्य करने के लिए नींवे खोद दी थी, कुछ निर्माण कार्य किया व बाद में निर्माण कार्य बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में विधिक बंटवाड़ा वादी एवं प्रतिवादी के बीच में स्थायी रूप से किया जाना आवश्यक है व उक्त वाद के जरिये बंटवाड़ा किया जाये व प्रतिवादी संख्या 10 को कब्जे काश्त के अनुसार हमारे हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

जमीन दी जाये व आने–जाने के लिए विधिवत् रूप से एवं स्थायी रूप से रास्ता दिया जाये, एवं उस रास्ते की कृषि भूमि को गै.मु. रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज की जाये। जिसमें मैं पूर्णतः सहमत हूं, तथा प्रतिवादी संख्या 10 के जवाव दावा के पश्चात् प्राथमिक डिक्री जारी की जावें, ताकि मुझे भी न्याय मिल सकें, जिससे मेरी कृषि भूमि मुझे अलग से मिल जाये व राजस्व रेकर्ड में मेरे हिस्सेनुसार अलग से दर्ज हो जाये, ताकि लगान अलग से कायम हो जाये व नक्से में भी तरमीम हो जाये। वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या 4 सही होने से स्वीकार है। वादीगण के वाद पत्र का पैरा संख्या 5 व 6 कानूनी होने से गौर अदालत के है, वादीगण के वाद पत्र का वाद पत्र का पैरा संख्या 7 वादीगण की ईश्तदुआ है, जो ए में वर्णित है, उसके हिस्से के अनुसार एवं कब्जा काश्त के अनुसार सीमांकन कर बंटवाड़ा किया जाकर पृथक से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावें, जिसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। बी. में वर्णित स्थायी निषेधाज्ञा की रिलिफ मांगी है, जो बंटवाड़ानुसार सभी को दी जावें। साथ ही जिस स्थान पर स्थायी रूप से रास्ता छोड़ा जावे उस कृषि भूमि को गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किया जायें। इस प्रकार प्रति सं0 10 ने जवाबदावा पेश कर बंटवाड़े के वाद से पूर्ण रूप से सहमति जताई तथा विधिवत् रूप से प्राथमिक डिक्री जारी फरमाई जाकर तथा जहां प्रति. सं. 10 का कब्जा काश्त है, वही हिस्सा बंटवाड़ा के जरिए दिये जाने तथा राजस्व नक्शे में अलग से तरमीम किया जाने व कृषि भूमि में आने जाने के लिए विधिवत् एवं स्थायी रूप से रास्ता दिलवाया जाने तथा रास्ते की भूमि छोड़ी जाती है तो उसके राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ते के रूप में दर्ज किये व मूल नक्शे में भी रास्ते की भूमि को रास्ते के रूप में गै.मु. रास्ते के रूप में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी अधिक्ता द्वारा प्राथमिक डिकी जारी किये जाने की ईश्तदुआ की। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किए गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण विभाजन का है। उभय पक्ष सहमति से विभाजन हेतु सहमत होने से प्राथमिक डिकी दिनांक 03.03.2021 जारी कि जाकर ग्राम बोयल के खसरा नम्बर 420, 423, 421, 422, 419, 424 कुल खसरा 06 जिसका कुल रकबा 15.0200 हैक्टर किस्म चा0प्र0 जा0प्र0 बंजड भूमि का दर्ज खातेदारान के मध्य मौका, रेकर्ड, तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर पृथक पृथक खसरा नम्बर रकबा एवं लगान का निर्धारण कर प्रस्तावित विभाजन पेश करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया है। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2022/1955 दिनांक 11.07.2022 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

दिनांक 22.03.22 को अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं नियम 4 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी संख्या 01 व 02 तथा प्रतिवादी संख्या 08 व 09 का देहान्त होने से उनके विधिक वारिसानो को बतौर पक्षकार संयोजित करने की ईश्तदुआ की है। जिसमें प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 01 एवं 02 तथा प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के कायम मुकाम को पक्षकार संयोजित किया गया। वादीगण पक्षकार की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र वैष्णव ने वकालत नामा पेश किया ,सा0मि0 हो। प्रतिवादी गण संख्या 08 एवं 09 के का0मु0 बावजुद सुचना/ तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही आज दिनांक 19.07.2023 को की गई।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

स्वीकारोक्ति / सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग--अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग--अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद ग्राम बोयल के खसरा नम्बर 420, 423, 421, 422, 419, 424 कुल खसरा 06 जिसका कुल रकबा 15.0200 हैक्टर किस्म चा0प्र0 जा0प्र0 बंजड भूमि खातेदारों के वीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है —

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म
1	01 कालूराम पुत्र धन्नाराम 1/2 के का0मु0 चन्द्रकी पत्नी कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत रमेशलाल पुत्र कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज. प्रकाश चौधरी पुत्र. कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज. शारदादेवी पुत्री कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली 02 जगदीश पुत्र धन्नाराम 1/2 जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत फौत के का0मु0— चन्द्रकी पत्नी कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत रमेशलाल पुत्र कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज. प्रकाश चौधरी पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज. शारदादेवी पुत्री कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली अनकी देवी पत्नी टीकमराम जाति सिरवी निवासी बेरा रामसागर सांडिया तहसील सोजत जिला पाली राज. सुखी देवी पत्नी हीराराम जाति सिरवी निवासी सांडिया तहसील सोजत जिला पाली राज.	420/2 423/1	0.3400 0.6100	चा0प्र0जा0अ0बंजड चा0प्र0जा0अ0बंजड
2	01 कालूराम पुत्र धन्नाराम 1/2 के का0मु0— चन्द्रकी पत्नी कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत रमेशलाल पुत्र कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज.	419 419/2 419/10 424	0.7000 0.5800 1.0300 0.39	चा.प्र.जा.अ. बंजड चा.प्र.जा.अ.बंजड चा.प्र.जा.अ.बंजड चा.प्र. बंजड

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

	प्रकाश चौधरी पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज. शारदादेवी पुत्री कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली 02 जगदीश पुत्र धन्नाराम 1/2 जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत फौत के का0मु0 -- चन्द्रकी पत्नी कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत, रमेशलाल पुत्र कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज., प्रकाश चौधरी पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली राज., शारदादेवी पुत्री कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत जिला पाली, अनकी देवी पत्नी टीकमराम जाति सिरवी निवासी बेरा रामसागर सांडिया तहसील सोजत जिला पाली राज., सुखी देवी पत्नी हीराराम जाति सिरवी निवासी सांडिया तहसील सोजत जिला पाली राज.			
3	गोमाराम पुत्र मगाराम 1/2 खेताराम जंवरीलाल पिता पेमाराम रतनीदेवी राधादेवी पुत्रिया पेमाराम मूलीदेवी पत्नि पेमाराम 1/2 जाति सिरवी सा.देह खातेदार	420/3 423/2 423/6	0.3500 0.3900 0.2200	चा.प्र.जा.अ. बंजड चा.प्र.जा.अ.बंजड चा.प्र.जा.अ.बंजड
4	गोमाराम पुत्र मंगाराम 1/2 वगैहर बदस्तुर	419/3 419/6 419/7 424/3	0.6100 0.6700 1.0300 0.3800	चा.प्र. जा.अ. बंजड चा.प्र. जा.अ. बंजड चा.प्र. जा.अ. बंजड चा.प्र. बंजड
5	गेनाराम पुत्र प्रभुराम1/4 भूण्डाराम पुत्र प्रभुराम 1/4 सिगलीदेवी पत्नि प्रभुराम 1/4 डगरीदेवी पत्नि भगवानराम, सज्जन, सुरेश, पि0 भगवानराम, शान्ति, रूकमा, पुत्रिया भगवानराम 1/4 जाति सिरवी सा.देह खातेदार	420/1 423	0.3400 0.6100	चा.प्र.जा.अ. बंजड चा.प्र. जा.अ. बंजड
6	गेनाराम पुत्र प्रभुराम1/4 भूण्डाराम पुत्र प्रभुराम 1/4 सिगलीदेवी पत्नि प्रभुराम 1/4 डगरीदेवी पत्नि भगवानराम, सज्जन, सुरेश, पि0 भगवानराम, शान्ति, रूकमा, पुत्रिया भगवानराम 1/4 जाति सिरवी सा.देह खातेदार	419/1 419/5 419/9 424/1	1.4400 1.1400 1.0300 0.4400	चा.प्र.जा.अ.बंजड चा.प्र.जा.अ.बंजड चा.प्र.जा.अ.बंजड चा.प्र. बंजउ
7	कानाराम, इन्दाराम, जोराराम, जीवाराम, पि0 हेमाराम विमला जाति सिरवी सा0देह खातेदार	420/4 423/3 423/5	0.3400 0.4700 0.1400	चा.प्र.जा.अ.बंजड चा.प्र.जा.अ.बंजड चा.प्र.जा.अ.बंजड
8	कानाराम, इन्दाराम, जोराराम, जीवाराम, पि0 हेमाराम विमला जाति सिरवी सा0देह खातेदार	424/2	0.3400	चा.प्र. बंजड
9	शान्तिदेवी पत्नी नारायणलाल जाति कलाल सा0 देह खातेदार	419/8	1.0300	चा.प्र.बंजड जा0अ0
10	चन्द्रकी पत्नी कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल,	421	0.0200	चा.प्र.बंजड जा0अ0

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

	रमेशलाल पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत, प्रकाश चौधरी पुत्र कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल, शारदादेवी पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल, अनकी देवी पत्नी टीकमराम जाति सिरवी निवासी बेरा रामसागर सांडिया, सुखी देवी पत्नी हीराराम जाति सिरवी निवासी सांडिया तहसील सोजत, गोमाराम पुत्र मगाराम खेताराम जंवरीलाल पिता पेमाराम रतनीदेवी राधादेवी पुत्रिया पेमाराम मूलीदेवी पत्नि पेमाराम जाति सिरवी सा.देह खातेदार गेनाराम पुत्र प्रभुराम, भूण्डाराम पुत्र प्रभुराम सिगलीदेवी पत्नि प्रभुराम डगरीदेवी पत्नि भगवानराम, सज्जन, सुरेश, पि0 भगवानराम, शान्ति, रूकमा, पुत्रिया भगवानराम जाति सिरवी सा.देह खातेदार कानाराम, इन्दाराम, जोराराम, जीवाराम, पि0 हेमाराम विमला जाति सिरवी सा0देह खातेदार	422	0.0600	
11	चन्द्रकी पत्नी कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल, रमेशलाल पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत, प्रकाश चौधरी पुत्र कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल, शारदादेवी पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल, अनकी देवी पत्नी टीकमराम जाति सिरवी निवासी बेरा रामसागर सांडिया, सुखी देवी पत्नी हीराराम जाति सिरवी निवासी सांडिया तहसील सोजत, गोमाराम पुत्र मगाराम खेताराम जंवरीलाल पिता पेमाराम रतनीदेवी राधादेवी पुत्रिया पेमाराम मूलीदेवी पत्नि पेमाराम जाति सिरवी सा.देह खातेदार गेनाराम पुत्र प्रभुराम, भूण्डाराम पुत्र प्रभुराम सिगलीदेवी पत्नि प्रभुराम डगरीदेवी पत्नि भगवानराम, सज्जन, सुरेश, पि0 भगवानराम, शान्ति, रूकमा, पुत्रिया भगवानराम जाति सिरवी सा.देह खातेदार कानाराम, इन्दाराम, जोराराम, जीवाराम, पि0 हेमाराम विमला जाति सिरवी सा0देह खातेदार	420 423/4	0.0600 0.0400	चा.प्र.बंजड जा0अ0
12	चन्द्रकी पत्नी कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल, रमेशलाल पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल तहसील सोजत, प्रकाश चौधरी पुत्र कालूराम जाति सिरवी निवासी बोयल, शारदादेवी पुत्र कालुराम जाति सिरवी निवासी बोयल, अनकी देवी पत्नी टीकमराम जाति सिरवी निवासी बेरा रामसागर सांडिया, सुखी देवी पत्नी हीराराम जाति सिरवी निवासी सांडिया तहसील सोजत, गोमाराम पुत्र मगाराम खेताराम जंवरीलाल पिता पेमाराम रतनीदेवी राधादेवी पुत्रिया पेमाराम मूलीदेवी पत्नि पेमाराम जाति सिरवी सा.देह खातेदार गेनाराम पुत्र प्रभुराम, भूण्डाराम पुत्र प्रभुराम सिगलीदेवी पत्नि प्रभुराम डगरीदेवी पत्नि भगवानराम, सज्जन, सुरेश, पि0 भगवानराम, शान्ति, रूकमा, पुत्रिया भगवानराम जाति सिरवी सा.देह खातेदार कानाराम, इन्दाराम, जोराराम, जीवाराम, पि0 हेमाराम विमला जाति सिरवी सा0देह खातेदार	419	0.2200	चा.प्र.बंजड जा0अ0

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 19/07/2023 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली